चण्डीगढ़, 22 सितंबर- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में चुनाव की घोषणा के दृष्टिगत सरकारी सम्पतियों से कुल 65,146 पोस्टरों/पेपर्स या अन्य प्रकार के विज्ञापनों समेत कटआऊट/होर्डिंग्स, बैनर्स, फ्लैगस को हटाया जा चुका है।

श्री अग्रवाल ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी सम्पतियों से कुल 4964 वॉल-राइटिंग, 17553 पोस्टर्स, 7543 पेपर्स, 1833 कटआऊटस, 12061 होर्डिंग्स, 11837 बैनर्स, 3296 फ्लैगस तथा 6059 अन्य प्रकार के विज्ञापनों को हटाया गया है।

उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा भी दिवारों पर लगाए गए अवैध राजनीतिक विज्ञापनों, पोस्टरों/पेपर्स या अन्य प्रकार के विज्ञापनों समेत कटआऊट/होर्डिंग्स, बैनर्स, फ्लैगस इत्यादि को चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर उतारना आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, किसी निजी सम्पति और स्थानीय कानून और अदालत के निर्देशानुसार लगाए गए सभी अवैध राजनीतिक विज्ञापनों को भी चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाना होगा।
क्रमांक-2019

चण्डीगढ़, 22 सितंबर- हरियाणा के संयुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ० इन्द्र जीत ने बताया कि 21 अक्तूबर,2019 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नये वोट 24 सितम्बर तक बनवाए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन **www.nvsp**.in पर भी आवेदन किया जा सकता है और अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फार्म 6 पर फोकस करके इनका निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ० इन्द्र जीत ने बताया कि वोट बनवाने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होती है और विधानसभा चुनावों में 27 अगस्त, 2019 को प्रकाशित संक्षिप्त मतदाता संशोधन सूची का प्रयोग किया जाएगा। प्रदेश में लगभग एक करोड़ 83 लाख मतदाता विधान सभा चुनाव में मतदान में भाग ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी व सुनियोजित ढंग़ से लोकतंत्र में चुनाव सम्पन्न करवाना चुनाव आयोग का कत्र्तव्य है और इसी के चलते राजनैतिक पार्टियों व चुनाव आयोग के बीच हुई सहमति से आदर्श चुनाव आचार संहिता तैयार की गई है जिसकी अनुपालना चुनाव प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री चुनाव के कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। केवल उसके निवास से आवश्यक सरकारी कार्य करने के लिए ही उसे वाहन की अनुमति

होगी। सरकारी व राजनैतिक कार्य मिश्रित रूप से करने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आयोग का सी-विजल एप आरंभ हो गया है। कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन से संबंधित सूचना आयोग के पास भेज सकता है और 100 मिनट के अंदर-अंदर संबंधित जिला उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका निदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
क्रमांक-2019